बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
जिला–बस्तर, छत्तीसगढ़, भारत 494001
BASTAR VISHWAVIDHYALAYA, JAGDALPUR
(DHARMPURA) DIST.- BASTAR (CG INDIA) 494001, PHONE 07782-229037, FAX 07782-229226, www.bvvjdp.ac.in

विद्यापरिषद
की बैठक दिनांक 20.08.2018

- कार्यवाही विवरण
- विषय सूची
- विषय से संबंधित समस्त दस्तावेज सहित

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(A STATE UNIVERSITY)
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494001
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / 2304 / अका. / ब.वि.वि. / 2018 जगदलपुर, दिनांक 29 / 08 / 2018

प्रति,

....

....

....

....

विषय :— दिनांक 20.08.2018 को आयोजित विद्यापरिषद बैठक की कार्यवृत्त प्रेषण के संबंध मे।

*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 20.08.2018 को आहूत की गई थी। उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों का कार्यवाही विवरण संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

प्रभारी कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 2305 / अका. / ब.वि.वि. / 2018 जगदलपुर, दिनांक 29 / 08 / 2018

प्रतिलिपि :—

01. सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
02. माननीय राज्यपाल महोदय के संयुक्त सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर की ओर सूचनार्थ।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सी—30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सहायक बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
05. समस्त विभाग प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष अध्ययनशाला, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभारी कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(A STATE UNIVERSITY)
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494001
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक /2197/ब.वि.वि. / 2018 जगदलपुर, दिनांक 23/08/2018

//विद्यापरिषद बैठक का कार्यवाही विवरण//

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के विद्या–परिषद की बैठक दिनांक 20.08.2018 को पूर्वान्ह 12.30 बजे विश्वविद्यालय के सभा कक्ष में आहूत की गई। उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :–

1.	प्रोफेसर शैलेन्द्र कुमार सिंह , कुलपति, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर	अध्यक्ष
2.	श्री ए.आर चौरे प्रभारी कुलसचिव, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर	सचिव
3.	श्री आई.पी.तिवारी, प्राचार्य श्री वेदमाता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय, जगदलपुर	संकायाध्यक्ष शिक्षा संकाय
4.	डॉ. के. इंदिरा मूर्ति, प्राध्यापक शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर	संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय
5.	डॉ. शरद नेमा,सह प्राध्यापक अध्ययनशाला ब.वि.वि., जगदलपुर	अध्यक्ष वानिकी एवं वन्यजीव
6.	श्री रमेशचन्द्र जोशी, सहायक प्राध्यापक शास. काकतीय पी.जी. महाविद्यालय, जगदलपुर	अध्यक्ष भू–गर्भशास्त्र
7.	श्री बी.एन. सिन्हा, सहायक प्राध्यापक शास. काकतीय पी.जी. महाविद्यालय, जगदलपुर	अध्यक्ष गणित
8.	डॉ. स्वपन कुमार कोले, सह प्राध्यापक अध्ययनशाला बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर	अध्यक्ष मानवविज्ञान एवं जनजातीय
9.	श्रीमती जयश्री साहू, सहायक प्राध्यापक शास. नवीन महाविद्यालय, केशकाल	अध्यक्ष सूक्ष्मजीव विज्ञान

10.	श्री सचिन द्विवेदी, सहायक प्राध्यापक श्री वेदमाता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय, जगदलपुर	अध्यक्ष शिक्षा
11.	श्री हंसराज रहंगडाले, सहायक प्राध्यापक शास. काकतीय पी.जी. महाविद्यालय, जगदलपुर	अध्यक्ष संस्कृत
12.	श्री एस.पी. तिवारी, सहायक प्राध्यापक शास. दन्तेश्वरी महिला महाविद्यालय, जगदलपुर	अध्यक्ष प्रा.भा.इतिहास
13.	डॉ. आनंदमूर्ति मिश्रा, सहायक प्राध्यापक अध्ययनशाला बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर	सदस्य
14.	डॉ. विनोद कुमार सोनी, सहायक प्राध्यापक अध्ययनशाला बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर	सदस्य
15.	डॉ. सजीवन कुमार, सहायक प्राध्यापक अध्ययनशाला बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर	सदस्य
16.	डॉ. सुकृता तिर्की, सहायक प्राध्यापक अध्ययनशाला बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर	सदस्य
17.	डॉ. रश्मि सिंह, प्राचार्य शासकीय महर्षि वाल्मिकि स्नातकोत्तर महाविद्यालय भानुप्रतापपुर	सदस्य

उक्त सम्मिलित सदस्यों का स्वागत किया गया।

विषय क्रमांक –1

दिनांक 14.06.2018 को आयोजित की गई पूर्व विद्यापरिषद बैठक की कार्यवाही विवरण का सम्पुष्टि।

निर्णय –

विद्यापरिषद के सम्माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पूर्व विद्यापरिषद बैठक के कार्यवाही विवरण की सम्पुष्टि की गई।

विषय क्रमांक –2

बस्तर विश्वविद्यालय गठन के पूर्व भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर एवं शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर में संचालित विधि पाठ्यक्रम पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से संबद्ध था तथा उक्त पाठ्यक्रम की मान्यता भारतीय विधिज्ञ परिषद (Bar Council of India) से प्राप्त थी। वर्ष 2008 में बस्तर विश्वविद्यालय की स्थापना पश्चात् संबंधित महाविद्यालय में संचालित विधि पाठ्यक्रम की मान्यता संबंधी कार्यवाही भारतीय विधिज्ञ परिषद (Bar Council of India) से करने के निर्देश है। उक्त निर्देश के परिपालन में विधि पाठ्यक्रम के संबद्धता हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित संयुक्त निरीक्षण समिति से भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर का प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन में किये गये अनुशंसा को मान्य करने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय –

सर्वसम्मति से प्रस्ताव मान्य किया गया।

विषय क्रमांक –3

भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर में नवीन बी.सी.ए. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने की अनुमति विषयक।

विभागीय टीप –

अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक एफ 3–21/2017/38–1 नया रायपुर, दिनांक 15.03.2018 के अनुसार नवीन पाठ्यक्रम बी.सी.ए. शैक्षणिक सत्र 2018–19 में प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है। तत्पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदाय करने हेतु संयुक्त निरीक्षण समिति गठित किया गया था, निरीक्षण समिति से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन में संबद्धता प्रदाय करने हेतु अनुशंसा किया गया है।

निर्णय –

सर्वसम्मति से प्रस्ताव मान्य किया गया।

विषय क्रमांक –4

बस्तर विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के Revised Ordinance -4 जो कि समन्वय समिति (Coordination Committee) की बैठक दिनांक 06.06.2011 में पारित की जा चुकी है को शिक्षकों की न्यूनतम अर्हता एवं आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के सीधी भर्ती विज्ञापन (Open Advertisement) के द्वारा नियुक्ति एवं कार्यरत प्राध्यापकों के कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम (Carrier Adavancement Scheme) के तहत पदोन्नति (Promotion) हेतु अंगीकृत किया गया था। वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 3) की धारा 14 के साथ गठित धारा 26 की उपधारा (झ) के खण्ड (ड.) और (छ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा " विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम 2010" (विनियम सं. 3–1/2009 दिनांक 30 जून, 2010) तथा समय –समय पर इनमें किये गये सभी संशोधनों का अधिग्रहण करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद द्वारा विनियम 18 दिनांक 18 जुलाई 2018 को अधिसूचित किया गया है। Revised Ordinance -4 में बस्तर विश्वविद्यालय पूर्व के स्वीकृत विनियम 2010 (विनियम स. 3–1/2009 दिनांक 30 जून, 2010) के स्थान पर विनियम 18 दिनांक 18 जुलाई 2018 (विनियम संख्या 1–2/2017 (ई. जी. /पी.एस.)) को अंगीकृत करती है। भविष्य में समय–समय पर इसमें होने वाले संशोधनों को अधिसूचना के दिनांक से ही विश्वविद्यालय मान्य करेगी। उक्त प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय –

सर्वसम्मति से अंगीकृत किया गया।

विषय क्रमांक –5

बस्तर विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के Regulation - 134 जो कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षकों एवं शैक्षिक कर्मचारियों के कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम (Carrier Adavancement Scheme) के अन्तर्गत सहायक आचार्य, सह आचार्य एवं आचार्यों के पदोन्नति हेतु विनियम 2010 के अधिसूचना दिनांक 30 जून 2010 के तहत बनाई गई थी, को अंगीकृत किया गया था। वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनियम 18 दिनांक 18 जुलाई 2018 को अधिसूचित किया गया है। बस्तर विश्वविद्यालय सहायक आचार्य, सह आचार्य एवं आचार्यों हेतु विनियम 18 दिनांक 18 जुलाई 2018 में वर्णित चयन प्रक्रिया एवं Academic Performance Indicator को मूलतः पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के अंगीकृत Regulation -134 में प्रतिस्थापित करते हुए अंगीकृत करती है, भविष्य में समय – समय पर विनियम 18 दिनांक 18 जुलाई 2018 में प्राध्यापकों की होने वाले पदोन्नति की चयन प्रक्रिया एवं A.P.I स्कोर में होने वाले परिवर्तन को अधिसूचना के तिथि से ही विश्वविद्यालय में मान्य करेगी। उक्त प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय –

सर्वसम्मति से अंगीकृत किया गया।

विषय क्रमांक –6

विश्वविद्यालय में शिक्षकों के भर्ती हेतु अधिसूचना दिनांक 18 जुलाई 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित सीएएस में शिक्षकों के कैरियर प्रगति हेतु और उनके सीधी भर्ती संबंधी न्यूनतम अर्हताओं का पालन किया जावेगा। इस कार्य हेतु विनियम 18 दिनांक 18 जुलाई 2018 के मापदण्डों के अनुसार निम्नलिखित मूल्यांकन प्राप्तांक विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया है। इसी के अनुसार शिक्षकों के कैरियर प्रगति में और सीधी भर्ती में साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थी चुनाव हेतु सूची बनाने के लिए उपयोग किया जावेगा। इस प्रारूप को दो भागों में बांटा गया है :–

1. शिक्षकों के कैरियर प्रगति योजना (CAS) पदोन्नति हेतु प्राप्तांकों का मूल्यांकन सारिणी निम्नानुसार होगी :–

1. सहायक आचार्य संवर्ग के चरण एक से चरण दो हेतु प्राप्तांको का मूल्यांकन सारिणी।
2. सहायक आचार्य संवर्ग के चरण दो से चरण तीन हेतु प्राप्तांको का मूल्यांकन सारिणी।
3. सहायक आचार्य संवर्ग के चरण तीन से सह आचार्य चरण चार हेतु प्राप्तांको का मूल्यांकन सारिणी।
4. सह आचार्य संवर्ग के चरण चार से आचार्य (चरण पांच) हेतु प्राप्तांको का मूल्यांकन सारिणी।

2. सीधी भर्ती हेतु सहायक आचार्य, सह आचार्य एवं आचार्य के लिए साक्षात्कार के पहले अभ्यर्थियों की सूची बनाने हेतु मूल्यांकन सारिणी निम्नानुसार होगी:–
1. सहायक आचार्य के सीधी भर्ती हेतु साक्षात्कार के लिए मूल्यांकन सारिणी।
2. सह आचार्य के सीधी भर्ती हेतु साक्षात्कार के लिए मूल्यांकन सारिणी।
3. आचार्य के सीधी भर्ती हेतु साक्षात्कार के लिए मूल्यांकन सारिणी।

उक्त प्रकरण विचरार्थ प्रस्तुत।

निर्णय –

सर्वसम्मति से अंगीकृत किया गया।

विषय क्रमांक –7

राजभवन का पत्र क्रमांक एफ 7–1 / 2014 / रास / यू. दिनांक 04.10.2017 एवं आयुक्त उच्च शिक्षा का पत्र क्रमांक 989 / 05 / आउशि / समन्वय / 2017 दिनांक 03.11.2017 के अनुसार विश्वविद्यालय समन्वय समिति के बैठक दिनांक 19.04.2017 में Ordinance No. 45 Doctor of Philosophy (As per UGC Regulation 2016) में हुए संशोधन को बस्तर विश्वविद्यालय में अंगीकृत करती है, भविष्य में समय–समय पर Ordinance No. 45 Doctor of Philosophy में होने वाले परिवर्तन को अधिसूचना के तिथि से ही विश्वविद्यालय में मान्य करेगी। उक्त प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय –

सर्वसम्मति से प्रस्ताव मान्य किया गया।

विषय क्रमांक –8

अन्य कोई विषय अध्यक्ष की अनुमति से।

कुलपति
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

प्रभारी कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)